भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4046
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 (शक) को दिया जाना है)

सहकारी ऋण समितियों पर कर

4046. श्री निहाल चन्दः
श्री अर्जुन लाल मीणाः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कमजोर सहकारी समितियों के कृषि व्यवसाय को आयकर के दायरे के अंतर्गत लाने के कारण उनके हितों को नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयकर अधिनियम की धरा 80(पी) के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी समितियों को छूट प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त छूट कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क)और(ख): आयकर अधिनियम 1961 में 'कमजोर सहकारी क्रेडिट समिति' के रूप में किसी निकाय को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि "प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति" और "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" जैसी सहकारी समितियां, अपनी कुल आय से कटौती के माध्यम से अधिनियम की धारा 80 पी के अंतर्गत कर का लाभ उठा सकती हैं। अधिनियम की धारा 80पी में, ऐसी सहकारी समितियों की कुल आय में से कटौती किए जाने का भी प्रावधान है जो निम्नलिखित कार्यों में जुड़ी हैं - (i) अपने सदस्यों द्वारा पैदावार किए गए कृषि उत्पादन का विपणन कर रही हैं, अथवा (ii)) कृषि औजारों, बीज, पशुधन अथवा कृषि के लिए अभिप्रेत अन्य मदों की, अपने सदस्यों को आपूर्ति किए जाने के प्रयोजन से खरीद कर रही हैं, अथवा (iii) सदस्यों की कृषि उपज की, बिना बिजली की मदद के प्रोसेसिंग कर रही हैं।

(ग), (घ) और (ड.): आयकर अधिनियम की धारा 80(पी) के प्रावधानों के अंतर्गत, सहकारी समितियों को छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि अधिनियम की धारा 80 पी के मौजूदा उपबंधों में, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन, विभिन्न सहकारी समितियों (विनिर्दिष्ट सहकारी बैंकों से इतर) को कटौती दिए जाने का प्रावधान है।

****